

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.5(10)गृह-1 /2020 पार्ट,

जयपुर, दिनांक:- 02.05.2023

आज्ञा

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 28.03.2023 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा की गई अभिशंषाओं के आधार पर राजस्थान पुलिस दूरसंचार में उप अधीक्षक पुलिस दूरसंचार के पद पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	पदोन्नत अधिकारी का नाम	वर्ग	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति दिनांक
01.	ओमप्रकाश वर्मा	अ.जा.	2022-23	22.11.2022
02.	भीमचंद	अ.जा.	2022-23	22.11.2022
03.	मेघराज मीना	अ.ज.जा.	2022-23	22.11.2022
04.	महावीर प्रसाद मीना	अ.ज.जा.	2022-23	22.11.2022
05.	विजेन्द्र सिंह	सामान्य	2022-23	22.11.2022
06.	श्रीमती एकता गौतम	सामान्य	2022-23	22.11.2022
07.	उमराव सिंह	सामान्य	2022-23	22.11.2022
08.	मनोज कुमार पारीक	सामान्य	2022-23	22.11.2022
09.	अनिल कुमार रेवाडिया	अ.जा.	2022-23	22.11.2022
10.	प्रवीण कुमार सैन	सामान्य	2022-23	22.11.2022
11.	कैलाश चंद शर्मा	सामान्य	2022-23	22.11.2022
12.	रामसिंह सीरवी	सामान्य	2022-23	22.11.2022
13.	विकास सोनी	सामान्य	2022-23	22.11.2022
14.	अवनीश कुमार अडोलिया	सामान्य	2022-23	22.11.2022
15.	दिलीप सिंह भदावत	सामान्य	2022-23	22.11.2022
16.	रामकुंवार मीणा	अ.ज.जा. (सामान्य पद के विरुद्ध)	2022-23	22.11.2022
17.	सुश्री नीतू चौहान	सामान्य	2022-23	22.11.2022
18.	सम्पत लाल	अ.जा.	2022-23	22.11.2022
19.	समय सिंह गुर्जर	सामान्य	2022-23	22.11.2022
20.	राजेन्द्र टांक	सामान्य	2022-23	22.11.2022

JEEVA GURJAR

Jeeva



21.	दिनेश कुमार अशनानी	सामान्य	2022-23	22.11.2022
22.	हरचन्द सिंह पलसानिया	सामान्य	2022-23	22.11.2022
23.	अतुल कुमार	सामान्य	2022-23	01.02.2023

उपरोक्त पदोन्नतियां माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 2058/2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सी.डब्ल्यू. पी. संख्या 3602/2023 में पारित निर्णय के अधधीन रहेंगी।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारीगण अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से वेतन देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

- Sd -

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, गृह विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
6. ~~दृष्टि~~ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(जगदीश लाल मीणा)

सहायक शासन सचिव, पुलिस